•

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-5/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी भुगतान बावत् ।

संदर्भ वित्त विभाग का ज्ञाप क्रं. एफ.बी. 25/20/94/पी.डब्ल्यू.सी./चार दिनांक 12-12-1997.

—••—

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति की अवधि में शासकीय आवास होने की स्थिति में ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु निम्नांकित प्रावधान रखा गया था :-

(अ) ग्रेच्युटी राशि का भुगतानआवास गृह रिक्त करने एवं पूरा किराया पटा देने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जायेगा । ऐसे प्रकरणों में ग्रेच्युटी की राशि पर ब्याज पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्त अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि के समान साधारण दर से देय होगा ।

(ब) पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति की कालावधि में ग्रेच्युटी की 50 प्रतिशत राशि कार्यालय प्रमुख के द्वारा प्रत्याशित ग्रेच्युटी भुगतान के रूप में दी जाएगी एवं अवशेष ग्रेच्युटी राशि का भुगतान कोषालय द्वारा शासकीय आवास रिक्त करने एवं पूरा किराया पटा देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा । इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

http://www.finance.mp.gov.in

2/ राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को दी गई संविदा नियुक्ति की अवधि में शासकीय सेवानियम लागू होते हैं । शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति उपरांत शासकीय आवास के धारण करने की अवधि में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है एवं इसके लिए उन्हें पृथक से ब्याज प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं है । अतः इसी अनुसार, संविदा नियुक्ति पर शासकीय आवास धारित किये जाने की अवधि में ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं होने पर इस अवधि के लिए ब्याज की पात्रता नहीं होगी ।

3/ उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है । पूर्व निर्णीत प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

http://www.finance.mp.gov.in

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9-5/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग